संख्या-53/2022/1048/छप्पन-2022/56-1022-001-02-2021

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन व्यवस्थित अनुदान की धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-39/2022/580/छप्पन-2022-56-1002 (001)/02/2021 दिनांक 06 अप्रैल, 2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 06 अप्रैल, 2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत नागरिक उड्डयन विभाग के लेखानुदान के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक ''2070'' तथा ''2203'' के अधीन रू0 44,80,19,000/- एवं रू0 2,86,79,000/- अर्थात कुल 47,66,98,000/- की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सम्प्रति वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक ''2070'' तथा ''2203'' के अधीन रू0 44,78,52,000/- एवं रू0 2,89,55,000/- अर्थात कुल 47,68,07,000/- की धनराशि व्यवस्थित की गई है। इस प्रकार राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक ''2070'' की मानक मद 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 5,00,000/- की एवं 49-चिकित्सा व्यय में रू0 2,00,000/- की अतिरिक्त धनराशि तथा लेखाशीर्षक ''2203'' की मानक मद 46-कम्प्यूटर हाडर्वेयर/साफ्टवेयर का क्रय में कुल रू0 4,00,000/- की अतिरिक्त धनराशि व्यवस्थित की जानी है एवं इंगित लेखाशीर्षकों ''2070'' एवं ''2203'' की मद संख्या-03-महंगाई भत्ता में क्रमश: रू0 8,67,000/- तथा रू0 1,24,000/- की धनराशि कम की गई है। अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा पक्ष के लेखाशीर्षक ''2070'' की मानक मद 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 5,00,000/- की एवं 49-चिकित्सा व्यय में रू0 2,00,000/- में व्यवस्थित अतिरिक्त धनराशि एवं ''2203'' की मानक मद 46-कम्प्यूटर हाडर्वेयर/साफ्टवेयर का क्रय में कुल रू0 4,00,000/- में व्यवस्थित अतिरिक्त

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि को सम्मिलित करते हुए राजस्व लेखाशीर्षक ''2070'' तथा ''2203'' के अधीन रू0 44,78,52,000/- एवं रू0 2,89,55,000/- अर्थात कुल 47,68,07,000/- (रू0 सैंतालिस करोड़ सड़सठ लाख सात हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को आवश्यकतानुसार वचनबद्ध मदों के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय किया जाये तथा व्यय के लिये जहाँ आवश्यक हो नियमानुसार शासन के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

पृ0सं0 : संख्या-53/2022/1048/छप्पन-2022 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उपमहालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1 विभूतिखण्ड गोमती नगर, लखनऊ-1,
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, ए0टी0आई0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।